(13)

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक,मध्यप्रदेश
(पंजीयन भवन, पुरानी विधान सभा के सामने, भोपाल–462003)

क्रमांक 4075/तकनीकी/2014 भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2014

प्रति,

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक
मध्यप्रदेश

विषय – नोटरी कार्यालयों का समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाकर निरीक्षण करने बाबत्।

––00––

विषय पर प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक बी–4–13/दो/2014, दिनांक 30.08.2014 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। पत्र में निर्देशित अनुसार अपने जिले के समस्त नोटरी कार्यालयों का समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाकर निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करें। आपके द्वारा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को शीघ्र अवगत कराएं।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक 4076/तकनीकी/2014 भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2014

प्रतिलिपि :–

समस्त उप महानिरीक्षक पंजीयन मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश

(74)

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक-3-4-13/ दो /2014

भोपाल, दिनांक 30.8.2014

प्रति

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय – नोटरी कार्यालयों का समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाकर निरीक्षण कराए जाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अन्तर्गत राज्य में नोटरी नियुक्त करने की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है। उक्त अधिनियम की धारा 8 में नोटरी के कृत्यों का उल्लेख है। यह देखा गया है कि अनेक बार नोटरी सम्पत्ति अन्तरण संबंधी ऐसे दस्तावेजों को भी प्रमाणित कर देते हैं, जो सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं होते हैं। यह उचित नहीं है।

सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882, सहपठित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति का अन्तरण केवल रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज द्वारा ही किया जा सकता है, किन्तु नोटरी द्वारा सम्पत्ति हस्तान्तरण संबंधी न्यून स्टाम्पित दस्तावेज सत्यापित कर दिए जाने से कई बार पक्षकार उसे ही एक विधि–सम्मत् दस्तावेज मान लेते हैं। इससे न केवल स्टाम्प व पंजीयन शुल्क के रूप में शासन को प्राप्त होने वाले राजस्व की क्षति होती है, बल्कि पक्षकारों के सम्पत्ति संबंधी कानूनी अधिकार भी अन्यथा प्रभावित होते हैं।

शासकीय अधिसूचना कमांक बी–6–9–पांच–एसआर–83, दिनांक 14.09.1983 द्वारा नोटरी के कार्यालय को भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 33 (3)(क) के अन्तर्गत **लोक कार्यालय** अवधारित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 73 के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किए गए व्यक्ति को लोक कार्यालयों के निरीक्षण का अधिकार है, साथ ही आवश्यक होने पर अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत वह दस्तावेज **परिबद्ध** (Impound) भी कर सकता है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में जिला पंजीयक, उप पंजीयक एवं अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा जिले के समस्त नोटरी कार्यालयों का समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाकर निरीक्षण कराया जाना कृपया सुनिश्चित करें, ताकि शासकीय राजस्व के अपवंचन की किसी भी आशंका को निर्मूल किया जा सके। निरीक्षणकर्ता अधिकारियों की सुविधा के लिए निरीक्षण टीप का प्रारूप संलग्न है।

संलग्न – उपर्युक्तानुसार।

(मनोज श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक B-4-13/ दो /2014 भोपाल, दिनांक 30-08-2014

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि विभाग को सूचनार्थ।
2. महानिरीक्षक पंजीयन, मध्यप्रदेश, भोपाल को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. समस्त कमिश्नर, मध्यप्रदेश को आवश्यक कार्रवाई हेतु।

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग

नोटरी कार्यालयों के निरीक्षण हेतु निरीक्षण टीप का प्रारूप

1. निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम व पदनाम –

2. नोटरी का नाम तथा लाइसेन्स कमांक –

3. निरीक्षण दिनांक –

4. अवधि, जिसका निरीक्षण किया गया –

5. क्या नोटरी द्वारा अन्तरण संबंधी न्यून स्टाम्पित दस्तावेजों को प्रमाणित किया जा रहा है ? यदि हां, तो सम्भावित राजस्व हानि का उल्लेख करते हुए विस्तृत विवरण दिया जाए।

6. क्या नोटरी रजिस्टर में दस्तावेज का प्रकार, पक्षकारों के नाम व पते एवं दस्तावेज किस कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना है, इनका पर्याप्त उल्लेख किया जा रहा है ?

7. क्या नोटरी रजिस्टर में दस्तावेज पर चुकायी गयी स्टाम्प शुल्क एवं नोटरी शुल्क की राशि का उल्लेख किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण दिया जाए –

कमांक	दस्तावेज का प्रकार व दिनांक	पक्षकारों का नाम व पता	दस्तावेज का मूल्य रूपए	स्टाम्प शुल्क रूपए	नोटरी शुल्क रूपए	अन्य

8. अन्य उल्लेखनीय बिन्दु –

निरीक्षणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं दिनांक